

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1725/VII-1/2015/146-ख/2010
देहरादून : दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/VII-1/2015/146-ख/2010, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 के प्रस्तर-7 (1) "विविध" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	वर्तमान प्राविधान	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	विविध 7.(1) ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) सहित प्रस्तुत किया जायेगा।	विविध 7.(1) ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1725(1)/VII-1/24-ख/2007, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव।